कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/नियु.–प्रको./नियु–2/982/शि.भ.2018/लेवल–1/गै.अ./ 2018 दिनांक :– 19.6.19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
प्रारम्भिक शिक्ष, समस्त।

विषय :– राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2018 अन्तर्गत लेवल–प्रथम के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन/नियुक्ति हेतु काउंसलिंग कैम्पों (परामर्श शिविर) को आयोजित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 15–05–2019, 30–05–2019 एवं 16–06–2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संबंध में लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती–2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक लेवल–प्रथम के पदों पर चयन रिशफल/प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों एवं जिला परिवर्तित होकर आये अभ्यर्थियों को नियक्तियां/पदस्थापन दिये जाने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.05.2019 (नॉन टी.एस.पी.) एवं 30.05.2019 (टी.एस.पी.) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश, तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 16.06.2019 द्वारा काउंसलिंग कैम्पों को आगामी आदश तक स्थगित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–प्रथम के संबंध में चयन रिशफल तथा प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्यालय आवंटन हेतु काउंसलिंग कैम्पों (परामर्श शिविर) के आयोजन हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	संशेधित तिथि
1.	विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैम्पों (परामर्श शिविर) का आयोजन	04–05 जुलाई 2019
2.	जिला स्थापना समिति से अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	08 जुलाई 2019

उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत जिला परिवर्तित होकर आये अभ्यर्थियों द्वारा नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में उपस्थिति दी जा रही है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. वर्तमान में विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश है, अतः कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों को दिनांक 23.06.2019 तक के लिए ग्रीष्मावकाश उपभोग करने की स्वीकृति दी जाये, तत्पश्चात् दिनांक 24.06.2019 को कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जावे।

2. शिविरा कलेण्डर के अनुसार कार्यरत अध्यापकों को दिनांक 24.06.2019 से राजकीय विद्यालयों में उपस्थित होना है, अतः उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने तक नामांकन संबंधी कार्य के सहयोगार्थ जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अनुपातिक रूप से भिजवा देवें व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इनको आवश्यकता अनुसार विद्यालय आवंटित करें।
3. निर्धारित उक्त काउंसलिंग कलेण्डर के अनुसार नवचयनित अभ्यर्थियों के साथ ही इनको विद्यालय आवंटित करते हुए नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापन संबंधी कार्यवाही की जावे।

भवदीय

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत
राज (प्रा.शि.)विभाग राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. उपायुक्त शाला दर्पण पोर्टल शिक्षा संकुल जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर/जोधपुर।
7. सहायक निदेशक, शिक्षक संस्थापन अनुभाग/शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत
राज (प्रा.शि.)विभाग राजस्थान
बीकानेर